भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3321

दिनांक 15.04.2008/ 26 चैत्र, 1930 (शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन

3321. श्री रामदास आठवले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत एक वर्ष में आज की तारीख तक केन्द्र सरकार को मंत्रालयों/केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा हिन्दी में लिखे पत्रों का अंग्रेजी में उत्तर देने के संबंध में राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन करने से संबंधित माननीय संसद सदस्यों से कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 शकील अहमद)

(क) : विगत एक वर्ष में आज की तारीख तक केन्द्र सरकार को मंत्रालयों/ केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा हिंदी में लिखे पत्रों का अंग्रेजी में उत्तर देने के संबंध में राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन करने से संबंधित माननीय संसद सदस्यों से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय मे सीधे ही या केन्द्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/ विभाग के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) : संघ सरकार की राजभाषा नीति, प्रेरणा प्रोत्साहन एवं सद्भावना की है। राजभाषा नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों में की गई व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करे।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न समितियों जैसे, केन्द्रीय हिंदी समिति, संसदीय राजभाषा समिति, हिंदी सलाहकार समिति, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के माध्यम से और क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम/नियम आदि के अनुपालन के संबंध में मानीटरिंग की जाती है।

केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों बैंकों/उपक्रमों आदि से प्राप्त राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करके पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कार्यालय को उचित निर्देश दिए जाते हैं।

******